संख्या-2/2015/87/4/1/2002/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक:30 जनवरी, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) के प्रावधानों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवाओं और पदों में आरक्षण सुनिश्चित करने के परिप्रेक्ष्य में "उत्तर प्रदेशलोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (यथासंशोधित) निर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-3(6) में निम्नवत प्रावधान है-

"यदि उपधारा(1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे उपधारा(1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेग।"

2 शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन पूर्णरूप से नहीं किया जा रहा है।

3 अत: कृपया अधिनियम में उल्लिखित उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://sresanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/87(1)/4/1/2002/का-2/2015तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in